न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नसीराबाद, अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– नवीण मीणा, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्याः– 42/2018 (03/2017)
सीआई.एस. संख्याः– 03/2017
CNR NO –RJAJ29000203 –2018

राजस्थान राज्य ..... **अभियोगी**

बनाम

1– सुरेश योगी पुत्र श्री गोविन्द नाथ उम्र 32 साल निवासी शिव मंदिर की गली राजीव बस्ती वैशाली नगर पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज अजमेर

2– सुरेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र श्री मांगी लाल उम्र 30 साल निवासी एल आईसी कॉलोनी के पीछे राजीव बस्ती वैशाली नगर, पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज अजमेर

3– योगेन्द्र उर्फ जयेश उर्फ मुकेश पुत्र श्री गणपत लाल आयु 23 साल निवासी डी –10 फ्रेण्डस कॉलोनी पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज जिला अजमेर

4– बाबू उर्फ अनिल पुत्र श्री मुन्ना लाल आयु 27 साल निवासी महादेव मंदिर के पास,राजीव बस्ती,वैशाली नगर पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज अजमेर

5– परमानंद पुत्र श्री डालू राम उम्र 30 साल निवासी खोरी, पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर

6– जालम सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह उम्र 24 साल निवासी डेर बांसेली, पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर

7– नरेश उर्फ नरू पुत्र घनश्याम उम्र 25 साल निवासी फाईसागर रोड, गोटा कॉलोनी पुलिस थाना गंज जिला अजमेर

8– सुनिल पुत्र मनसुख राम उम्र 20 साल निवासी कापरडा, पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर **(मफरूर दिनांक 17–12–2025)**

9– शाहरूख भाट पुत्र मदन लाल आयु 24 साल निवासी खारिया रोड, भाटो का मौहल्ला, पुलिस थाना कुचामन सिटी,जिला नागौर हाल डी

–10 फ्रेण्डस कॉलोनी पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज जिला अजमेर **(मफरूर दिनांक 18–03–2026)**

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा– 395,323,341 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति–

1– श्री महेन्द्र चौधरी, अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

2– श्री एन एन मेहरा, श्री सौरभ सेठी विद्वान अधिवक्तागण – अभियुक्तगण

: निर्णय: दिनांक– 18–03–2026

1– हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07–09–2016 को परिवादी भगवानास पुत्र श्रीनिहाल चन्द उम्र 62 साल निवासी सेन्दडा रोड हेडा अस्पताल के सामने ब्यावर थाना ब्यावर सिटी ने पुलिस थाना मांगलियावास पर रिपोर्ट इन तथ्यों की प्रस्तुत की कि –

मैं भगवान दास पमनानी ब्यावर सेन्दडा रोड हेडा होस्पीटल से अजमेर धन्धे के हिसाब से रोज जाता हूँ,उस दिन दिनांक 25–08–16 को मैं अजमेर से अपने माल का पैसा ब्यावर ला रहा था और कुछ पहले के माल की उधारी का पैसा था और मैं मेरा स्टाफ साथ था । समय करीब लगभग रात के 10 बजे की बात है मैं अजमेर रेल्वे स्टेशन से स्विफट डिजायर गाडी टैक्सी परमिट की थी जिसमें बैठकर ब्यावर आ रहा था जो कि रास्ते में राजगढ तिराहे पर पहुंचे तो पीछे से एक निशान माईक्रा गाडी तेज गति से आकर हमारे आगे लगा दी और हमारी गाडी की चाबी भी निकाल दी और निशान माईक्रा गाडी में से 5–6 व्यकित थे जो हमारी गाडी पर लकडियों और सरियों से गाडी के शीशे सारे तोडफोड कर दिया और चाकू भी दिखाये और उनमें से एक व्यकित के पास पिस्तौल भी थी मेरे पास एक लाख सत्तर हजार रूपये थे और सात हजार और आधार कार्ड जो मेरे पर्स में थे जो डरा धमका करलेकर भाग गये, बेग में हमारे फर्म भगवान ट्रेडर्स की बिल बुक भी जो लेकर भाग गये, जाते जाते धमकी भी देकर गये कि थाने पर रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे, मेरे साथ मारपीट की जिससे हाथों की अंगूलियो पर लगी उनके **मूंह पर काला कपडा बांध रखा था सिर्फ आंखे दिख रही थी** जिनको सामने आनेपर

पहचान सकताहूँ, घटना के समय मेरे साथ नरसिंह, राजू जोशी, विक्रम थे

...आदि पर प्रकरण संख्या **177**/2016 धारा **395, 341, 323** IPC मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

2– बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्व धारा **395, 341, 323** भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र पेश किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्व प्रसंज्ञान लिया जाकर पत्रावली सेशन प्रकरण होने के कारण माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर को कमिट किये जाने के पश्चात इस न्यायालय के नव गठन पर पत्रावली माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय अजमेर के आदेशानुसार दिनांक 24–01–2018 को विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई ।

3– दिनांक **28–02–2017** को प्रकरण में बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को उनके विरुद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा **395 341, 323** भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

4– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में साक्षी पी.डब्ल्यू 1 डॉ शैलेन्द्र, पी.डब्ल्यू–2 विक्रम सिंह, पी.डब्ल्यू 3 नृसिंह, पी.डब्ल्यू 4 राजू, पी.डब्ल्यू 5 राजेश पमनानी, पी.डब्ल्यू –6 राजू सिंह, पी.डब्ल्यू– 7 रोशन लाल, पी.डब्ल्यू 8 वेद प्रकाश, पी.डब्ल्यू –9 रघुवीर सिंह, पी.डब्ल्यू –10 बृज लाल, पी.डब्ल्यू– 11 रामकुमार के कथन लेखबद्व करवाये व दस्तावेजी साक्ष्य में–

क्रम संख्या	**प्रदर्श**	**विवरण दस्तावेज**
01	**प्रदर्श 01**	**चोट प्रतिवेदन भगवानदास**
02	**प्रदर्श 02**	**पुलिस बयान विक्रम सिंह**
03	**प्रदर्श 03**	**पुलिस बयान नृसिंह**
04	**प्रदर्श 04**	**फर्द नक्शा मौका**
05	**प्रदर्श 05**	**पुलिस बयान गवाह राजू**

Authenticated Document

06	प्रदर्श 06	पुलिस बयान राजेश पमनानी
07	प्रदर्श 07	पुलिस बयान राजू सिंह
08	प्रदर्श 08	फर्द निरीक्षण कार
09	प्रदर्श 09	पुलिस बयान रोशन लाल
10	प्रदर्श 10 से 17	फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण
11	प्रदर्श 18	फर्द जब्ती राशि
12	प्रदर्श 19	चिट पेपा की प्रति
13	प्रदर्श 20	फर्द जब्ती अभियुक्त अनिल
14	प्रदर्श 21	चिट चेपा की प्रति
15	प्रदर्श 22	फर्द जब्ती अभियुक्त सुरेश
16	प्रदर्श 23	चिट चेपा की प्रति
17	प्रदर्श 24	फर्द जब्ती अभियुक्त योगेन्द्र
18	प्रदर्श 25	चिट चेपा की प्रति
19	प्रदर्श 26	फर्द जब्ती अभियुक्त शाहरूख
20	प्रदर्श 27	चिट चेपा की प्रति
21	प्रदर्श 28	फर्द जब्ती अभियुक्त नरेश
22	प्रदर्श 29	चिट चेपा की प्रति
23	प्रदर्श 30	फर्द जब्ती अभियुक्त परमानंद
24	प्रदर्श 31	चिट चेपा
25	प्रदर्श 32	फर्द जब्ती अभियुक्त जालम सिंह
26	प्रदर्श 33	चिटचेपा की प्रति
27	प्रदर्श 34 से प्रदर्श 41	फर्द निरीक्षण नक्शा मौका बरामदगी स्थल
28	प्रदर्श 42	फर्द तस्दीक नकशा मौका
29	प्रदर्श 43 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति

Authenticated Document

5– अभियुक्त सुनिल के दौराने विचारण मफरूर हो जाने से उसके खिलाफ कार्यवाही पृथक की गई ।

6– अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किये गये तो अभियुक्तगण ने गवाहान के द्वारा झूंठे कथन करने व उन्हें झूंठा फंसाने के कथन किये हैं। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

7– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । इस प्रकरण के निस्तारण हेतु अवधारणार्थ बिन्दु निम्न उत्पन्न होता है –

1– **''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25–08–2016 को रात्रि 10.00 बजे के लगभग जब परिवादी भगवान दास अजमेर रेल्वे स्टेशन से स्विफट डिजायर टैक्सी में बैठकर ब्यावर जार हा था तो राजगढ तिराहे पर अभियुक्तगण ने अपने साथ संयुक्त रूप से उपस्थित व्यक्तियों की मदद से जिन्हें मिलाकर संख्या पांच से अधिक हो गई थी डिजायर के आगे निशान माईक्रा गाडी लगाकर उसे रोककर अभियोगी से एक लाख सत्तर हजार रूपये बिल बुक, पर्स में रखे सात हजार रूपये, आधार कार्ड आदि थे को लूटकर डकैती की एवं अभियोगी भगवान दास के स्वेच्छ्यापूर्वक उपहति कारित करने के आशय से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की एवं अभियोगी भगवानदास को उसकी इच्छा के विपरीत अवैध रूप से रोककर सदौष अवरोध कारित किया ?**

यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के भागी हैं?

8– बहस के दौरान विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिये कि अभियोजन पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे सिद्ध है तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दंडित करने का निवेदन किया ।

9– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत अहम गवाहान पक्षद्रोही हुए है तथा मात्र पुलिस कर्मीयों द्वारा जो कथन किये गये है उनके कथनों में विरोधाभास है ऐसे

Authenticated Document

में उसकी साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष की कहानी संदेह से परे सिद्ध नहीं है और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

10– विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया ।

11– उपरोक्त अभियोजन की कहानी के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में साक्षी अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यु.01 डॉ. शैलेन्द्र ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 8–9–2016 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सराधना में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था उस दिन पुलिस थाना मांगलियावास के प्रतिवेदन पर आहत भगवानदास पुत्र निहाल चन्द के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था, जिसके अनुसार चोट संख्या एक उल्टे हाथ की निचली अंगूली, नाखून काला पडा हुआ था, नाखून का पूरा बेस भी काला था, चोट संख्या 02 उल्टे हाथ की रिंग फिगर का नाखून काला पडा हुआ था, नाखून का पूरा बेस ही काला था चोटें सामान्य प्रकृति की थी चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है ।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि अंगूली पर जब चोट लगती है तो नाखून का काला होना शुरू हो जाता है । एक दिन में नाखून में अंगूली काली हो जाती है चोट कारित होने की अवधि आहत ने स्वयं ने बताई थी । यह आई आर प्रदर्श पी 1 आई चोटों का विवरण मैने पुलिस के बताये अनुसार बनाया था। यह बात सही है कि जिस पुलिस प्रतिवेदन पर मैने मेडिकल मुआयना किया था वो पत्रावली पर मौजूद नहीं है । यह बात सही है कि आहत ने मुझे यह नहीं बताया कि चोटें कब कहां और किस तरह से आई ।

12– गवाह पी.डब्ल्यु.–2 विक्रमसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह बिलातों का बाडिया में रहता है, वह पडाव में भगवानदास के यहां काम करता है । दिनांक 25–08–2016 को सांय 10.00 बजे हमारे सेठ भगवान दास के साथ क्या वारदात हुई मुझे पता नहीं है ।

Authenticated Document

अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है ।

अपर लोक अभियोजक के प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस थाने पर मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई व न ही कोई बयान हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी 02 का ए से बी भाग मैने पुलिस को नहीं दिया प्रदर्श पी 02 का सी से डी भाग मैने पुलिस को नहीं दिया। सुरेश, सुरेन्द्र, योगेन्द्र उर्फ जयेश को नहीं जानता, बाबू उर्फ अनिल, शाहरूख, परमानंद, नरेश उर्फ नेरू जालम सिंह को नहीं जानता हूॅ ।

अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मैने कोई घटना नहीं देखी ना ही मैं मौके पर था। यह कहना सही है कि हमारे सेठ जी भगवान दास ने पुलिस के दबाव में व पुलिस के कहने से मुकदमा दर्ज कराया था ।

13– गवाह पी.डब्ल्यु.–03 नृसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह बिलातों का बाडिया का रहने वाला है वह अजमेर पडाव में भगवानदास के नौकरी करता है, भगवानदास जी के पास टवेरा गाडी है । किस तारीख को किस गाडी से कहां जा रहे थे मुझे पता नहीं है ।

अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है ।

अपर लोक अभियोजक के प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 का ए से बी भाग मैने पुलिस को नहीं दिया यह कहना गलत है कि मैने घटना देखी हो ।

अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही कि किसी नक्शे मौके पर मैने हस्ताक्षर नहीं किये सिर्फ पुलिस ने थानेपर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे ।

14– गवाह पी.डब्ल्यु.– 4 राजू ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह ब्यावर का रहने वाला है पडाव मं भगवानदास के यहां काम करता है अब नहीं करता है वह नृसिंह, विक्रम सेठ जी के यहां काम करते है । सेठ जी किस तारीख महीने को कहां गये मुझे पता नहीं है ।

Authenticated Document

अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है ।

अपर लोक अभियोजक के प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि मैने पुलिस को कोई नाम पता नहीं लिखवाया था सेठ जी ने लिखवा दिया था।

अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही कि सेठ जी भगवान दास के साथ कोई लूट डकैती की घटना नहीं हुई ।

15– गवाह पी.डब्ल्यु.– 5 राजेश पमनानी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसका भगवान ट्रेडर्स के नाम से व्यवसाय है,ब्यावर में मैन आफिस है, पडाव में ब्रांच आफिस है जो होलसेल की दुकान है, उसकी दुकान पर राजू नृसिंह,विक्रम सेल्समेन व सप्लाई का काम करते है, हरिसिंह टेम्पो ड्राईवर है रोजाना ब्यावर से अजमेर माल आता जाता रहता है। दिनांक 25–08–2016 को हरि सिंह का टेम्पो कहां माल लेकर गया था मुझे पता नहीं है । मेरे पास टवेरा गाडी है स्विफट डिजायर गाडी का नम्बर मुझे ध्यान नहीं है । मुझे जानकारी नहीं कि मेरे पिता के साथ किस दिनांक, महीने को क्या घटना हुई थी ।

अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है ।

अपर लोक अभियोजक के प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 25–08–2016 को घटना की मुझे जानकारी नहीं है । मुझे फोन करके अपने घर पर बुलाया था मेरे पिताजी से कोई पैसे लूटने के बारे में बात नहीं हुई । फोन करके जब मुझे बुलाया गया तो मेरे पिताजी थाने पर थे । पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की ।

अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस में मेरे कोई बयान नहीं हुए । प्रदर्श पी 04 नक्शो मौके पर मैने खाली कागजों पर थाने में हस्ताक्षर किये थे । यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरे पिताजी को दबाव बनाकर एवं मजबूर करके पहले ही थाने में मुलजिम को दिखा दिया था । मेरे पिताजी के साथ कोई घटना नहीं हुई ।

Authenticated Document

16– गवाह पी.ड.6 राजू सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब सात आठ माह पहले की बात है मुझे नहीं पता क्या हुआ । मैने कोई घटना नहीं देखी थी। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है ।

अपर लोक अभियोजक के प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि मेरे पुलिस बयानप्रदर्श पी 7 है जिसका ए से बी भाग मैने पुलिस को नहीं दिया । पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का सी से डी तथा ई से एफ भाग भी मैने पुलिस को नहीं दिया । यह कहना गलत कि मुलजिमान मेरे सामने परिवादी भगवान दास के साथ लूट व मारपीट की हो तथा वह उस समय परिवादी की कार चला रहा हो ।

अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 8 पर जब मेरे हस्ताक्षर कराये थे तब वह खाली थी तथा वह किस बाबत था मुझे नहीं पता ।

17– गवाह पी.ड.7 रोशन लाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा मैने कोई घटना नहीं देखी । अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है ।

अपर लोक अभियोजक के प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 का ए से बी भाग सही है । प्रदर्श पी 9 का सी से डी भाग व ई से एफ भाग मैने पुलिस को नहीं बताया था उन्होने कैसे लिखा मुझे नहीं पता । यह कहना गलत कि मेरे ड्राईवर राजू सिंह ने मुझे फोन पर घटना के बारे में बताया हो ।

अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 08 पर जब् मैने हस्ताक्षर थाने पर कराये तब वह खाली था । हस्ताक्षर किस बाबत कराये मुझे नहीं पता ।

18– गवाह पी.डब्ल्यु.– 08 वेद प्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16–09–2016 को पुलिस थाना मांगलियावास पर कानि के पद पर तैना था उस दिन अभियुक्तगण को जरिये फर्द गिरफतार

Authenticated Document

किया, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 10 लगायत 17 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । आप अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह से 500–500 के बीस नोट कुल दस हजार रूपये तैयार किये जिसकी फर्द प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जिसकी चेपा चिट प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है आप अभियुक्त् अनिल से पांच पांच सो के 18 नोट कुल 9000/रू बरामद किये जिनकी फर्द प्रदर्श पी 20 तैयारकी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जिसकी चिट चेपा प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है आप अभियुक्त सेरेश से पांच पांच सो के सत्रह कुल आठ हजार पांच सो रूपये बरामद किये जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 22 है जिसकी चिट चेपा प्रदर्श पी 23 है तैयार की जिन पपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है आप अभियुक्त जयेश से पांच पांच सौ के बाइर्स नोट कुल ग्यारह हजार रूपये बरामद किये व भगवानदास का आधार कार्ड व बिल बुक बरामद किये जिसकीफर्द प्रदर्श पी 24 व चिट चेपा प्रदर्श पी 25 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है आप अभियुक्तशाहरूख से पांच पांच सो के चोदह नोट कुल सात हजार रूपये बरामद किये जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 26 व चिट चेपा प्रदर्श पी 27 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, आप अभियुक्त नरेश से पांच पांच सो के अठारह नोट कुल नो हजार रूपये बरामद किये जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पपी 28 व चिट चेपा प्रदर्श पी 29 तैयार की जिन पर उसके ए से बी हस्ताक्षर है, आप अभियुक्त परमानंद से पांच पांच सो के सोलह नोट कुल आठ हजार रूपये बरामद किये जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 30 एवं चिट चेपा प्रदर्श पी 31 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, आपअभियुक्त जालम से पांच पांच सौ के सोलह नोट कुल आठ हजार रूपये बरामद किये जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 32 व चिट चेपा प्रदर्श पी 33 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि किसकी गिरफतारी कब बनाई गई मुझे जानकारी नहीं है कि सुरेश व अनिल की गिरफतारी के पहले किस मुलजिम को गिरफतार कर हस्ताक्षर किये व बाद में किस मुलजिम की फर्द गिरफतारी पर हस्ताक्षर किये । सुरेन्द्र सहित समस्त मुलजिमो को जब हम थाने से लेकर गये उससे पूर्व भी मुलजिम थाने पर ही थे । पहली फर्द जब्ती पर मैने लगभग 8.35 पी एम पर हस्ताक्षर किये थे पहली फर्द जब्ती पर मैने फ्रेण्डस कॉलोनी वेशाली नगर में स्थित सुरेन्द्रसिंह के घर पर हस्ताक्षर किये थे । सुरेन्द्र के घर से हम करीब

10 मीनट बाद रवाना हो गये थे । हम थाने से एक ही गाडी में रवाना हुए थे । पहले प्रदर्श पी 2 फर्द जब्ती व बाद में शील चेपा पर हस्ताक्षर किये थे अनिल का घर कहां व किस कॉलोनी में है मैं नहीं बता सकता । अनिल के घर पर मैने दो कागजों पर ही हस्ताक्षर किये थे । अनिल के घर से जिस कमरे से हमने रूपये बरामद किये उस कमरे का मैं नकशा मौका देखकर बता सकता हूॅ जिस पर एक्स मार्का लगा है । यह सही है कि जब्तशुदा रूपये व थेली आज मेरे सामने अदालत में नहीं है । सफेद थेली पर चिट चेपा करके सील मोहरकर दिया था । यह सही है कि सुरेश से जब्त रूपये व जिस थैली में रूपये रखे वह आज मेरे सामने अदालत में नहीं है । बृजलाल के अलावा मुझे पता नहीं कि गाडी में कौन कहां बैठा था । यह सही कि जहां फर्द जब्ती बनाई वह रिहायशी एरिया है । यह सही है कि सुरेश व अनिल से जब्ती की वह स्थान रिहायशी होकर आस पास मकानात बने हुए है और लोग रहते है अनिल के घर पर जब्ती के लिए गये थे तब उसके घर के सदस्य घर पर मौजूद मिले । सुरेश योगी से 17 नोट पांच पांच सौ के थे । सुरेश से बरामद नोट किस अलमारी में थे । सुरेश योगी ने वहीं टंगी पेन्ट से चाबी निकालकर अलमारी खोली थी । सुरेश योगी के जिस कमरे से बरामदगी की उसमें कितने दरवाजे कितनी खिडकियां कितने रोशनदान कितनी तांके थी मैं नहीं बता सकता । मुझे पता नहीं कि इन कार्यवाही में आइ्र ओ ने किसी स्वतन्त्र गवाह को फर्दो में गवाह बनाया या नहीं । समस्त जब्ती के कार्यवाही के दौरान किसी स्वतन्त्र गवाह को लाने के लिए नहीं थे सुरेश व अन्य मुलजिमान से जब्ती के पांच नोट बाद ही नक्शे पर हस्ताक्षर किये थे। अनिल ने अपने कमरे के बिस्तर के नीचे से रूपये होने का हवाला नहीं है । नोट कैसे थे उनके नम्बर क्या थे सिरीयल नम्बर से थे या नहीं यह मैं नहीं बता सकता। यह बात गलत है कि समस्त मुलजिमान के परिजनों से थाने पर रूपये मंगाकर थाने पर ही जब्ती बनाई थी । मेरे सामने थाने से रवाना होने का इन्द्राज रोजनामचे में नहीं किया था। मेरे सामने अभियुक्त जालम सिंह के मकान में जब्ती के लिए गये तब उसका मकान का दरवाजा खुला ही था । प्रदर्श पी 40 में वर्णित स्थान जालम सिंह के मकान में इस जब्ती से पूर्व और बाद में मैं कभी नहीं गया। मेरे सामने थानेदार जी ने किसी स्वतन्त्र व्यक्ति से नहीं पूछा कि कथित मकान किसका है । यह सही है कि प्रदर्श पी 32 व प्रदर्श पी 40 की लिखावट में फर्क है । यह सही है कि यह दोनों अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखी है । प्रदर्श पी 33 कार्बन प्रति है । जालम सिंह के सम्बन्ध में मैने

Authenticated Document

तीन कागज पर हस्ताक्षर किये थे । जो प्रदर्श पी 32 पी 33 व प्रदर्श पी 40 है। मुलजिमान से बरामद नोट के नम्बर मैं नहीं बता सकता कितने पुराने थे या नहीं थे मैं नहीं बता सकता यह सही है कि मुलजिमान के घर गये तब आस पडोसी आ गये थे । मेरे सामने थानेदार जी ने आस पडोसी से नहीं पूछा कि किसका मकान है । मुलजिमान के आस पास में किन किन के मकान मैं नहीं बता सकता । यह सही है कि इस प्रकरण के अलावा मैं कभी मुलजिमान के घर पर कभी नहीं गया । मैं मुलजिमान के घर पर एक ही बार गया था मुलजिमान के घर पर उनके परिजन मौजूद थे मेरे सामने मुलजिमान के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज आई ओ ने नहीं लिये । परमानंद की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 30 में एक्स स्थान पर कांट छांट किसने की मैं नहीं बता सकता । यह बात सही हैकि नरेश का मकान हो इस बारे में आस पास के लोगों से पूछताछ नहीं की, नरेश का ही मकान हो इसकी तस्दीक आस पास के लोगों ने नहीं की । नरेश का मकान बंद था वह बंद क्षेत्र है ।घ्टना के कितने दिन बाद फर्द जब्ती बनाई व नक्शा बरामदगी स्थल पर साईन किये मुझे जानकारी नहीं है ।यह बात सही है कि प्रदर्श पी 42 में एक्स से बाय स्थान में कांट छांट की गई है । यह मैं नहीं कह सकता कि दिनांक 15–02–2016 को काटकर 17–9–2016 की गई हो । यह सही है कि उक्त कांट छांट पर किसी गवाह के मेरे व आई ओ के लघु हस्ताक्षर नहीं है ।

19– गवाह पी.डब्ल्यु.– 09 रघुवीरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16–09–16 को पुलिस थाना मांगलियावास पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था उस दिन मुकदमा नम्बर 177/2016 में गणपतलाल जी ने सेन्ट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर अभियुक्त सुरेन्द्र दमामी, जालम सिंह, योगेन्द्र उर्फ जयेश उर्फ मुकेश, नरेश उर्फ जोशी, शाहरूख, अनिल, सुरेश योगी व परमानंद को गिरफतार कर उनकी गिरफतारी बनाई जो प्रदर्श पी 10 लगायत 17 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है ।

प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्तगण के परिवार के किस किस सदस्यों को सूचित किया यह मुझे मालुम नहीं है । पी.डब्लू किस दिनांक को प्राप्त किया इसकी जानकारी मुझे नहीं है । मुझे थाने पर ही

Authenticated Document

बता दिया था कि मुलजिमान को गिरफतार करने केन्द्रीय कारागृह अजमेर चलना है ।

20– गवाह पी.डब्ल्यु.– 10 ब्रज लाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सितम्बर 2016 में पुलिस थाना मांगलियावास पर कानि के पद पर तैनात था उस दिन गणपत जी अनुसंधान अधिकारी ने आप अभियुक्त सेरेन्द्र से पांच पांच सो के बीस नोट कुल दस हजार रूपये जब्त किये जिसकी फर्द प्रदर्श पी 18 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, जिसकी चिट चेपा प्रदर्श पी 1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, आप अभियुक्त अनिल से पांच पांच सौ के कुल अठारह नोट कुल नो हजार रूपये बरामद किये जिनकी फर्द प्रदर्श पी 20 चिट चेपा प्रदर्श 21 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । आप अभियुक्त सुरेश योगी से पांच पांच सो के सत्रह नोट कुल आठ हजार पांचसो रूपये बरामद किये जिनकी फर्द प्रदर्श पी 22 व चिट चेपा प्रदर्श पी 23 है जिन पर सी सेडी उसके हस्ताक्षर है आप अभियुक्त जयेश उर्फ योगेन्द्र से पांच पांच सौ के कुल बाईस नोट कुल ग्यारह हजार रूपये बरामद किये व भगवानदास के आधार कार्ड व बिल बुक बरामद किये थे जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 24 व चिट चेपा प्रदर्श पी 25 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । आप अभियुक्त शाहरूख से पांच पांच सो के चोदह नोट कुल सात हजार रूपये जब्त किये जिसकी फर्द प्रदर्श पी 26 व चिट चेपा प्रदर्श पी 27 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । आप अभियुक्त नरेश से पांच पांच सो के अठारह नोट कुल नो हजार रूपये बरामद किये जिसकी फर्द प्रदर्श पी 28 व चिट चेपा प्रदर्श पी 29 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । अभियुक्त परमानंद से पांच पांच सौ के सोलह नोट कुल आठ हजार रूपये बरामद किये जिसकी फर्द प्रदर्श पी 30 व चिट चेपा प्रदर्श पी 31 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, आप अभियुक्त जालमसिंह से पांच पांच के सौलह नोट कुल आठ हजार रूपये जब्त किये जिसकी फर्द प्रदर्श पी 32 व चिट चेपा प्रदर्श पी 33 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, उक्त अभियुक्तगण से जो बरामदगी हुई उसका फर्द निरीक्षण मौका बनाया जो प्रदर्श पी 34 लगायत 41 है जिन पर प्रत्येक पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । घटना स्थल का फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 42 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि जालम सिंह के घर के अन्दर मैं थानेदार जी वेदप्रकाश, गोपाराम जी हम चारो व दो अन्य प्रशिक्षु

कांस्टेबल साथ थे गये थे । मकान में घुसते ही दो बडे कमरे बाये हाथ पर किचन आंगे टीन शेड लगा था । यह सही है कि प्रदर्श पी 40 में कौनसा सामान कहां पडा था इसका इन्द्राज नहीं है । मेरे सामने अभियुक्त ने 27 की इत्ततला दी थी । मुझे याद नहीं कि मेरे सामने जब्त नोटों के नम्बर नोट किये या नहीं । मेरे सामने आई ओ ने किसी स्वतन्त्र व्यक्ति से उस मकान बाबत नहीं पूछा था । जिन फर्दों पर मेरे हस्ताक्षर हुए थे उन पर किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है । मैं नहीं बता सकता कि जिस नक्शे की कार्बन प्रति पर मैने हस्ताक्षर है वह कहां है आई ओ बता सकता है । नरेश के मकान के बारे में आस पास के लोगों से पूछताछ नहीं की । यह सही है कि प्रदर्श पी 18 से 33 व प्रदर्श 34 से प्रदर्श पी 41 पर जो नमूना सील अंकित है उस पर मांगलियावास थाना लिखा हो स्वयं कहा कि मांगलियावास थाना नहीं लिखा है । सुरेनद्र के मकान पर हम दोपहर बाद पहुचे थे । यह बात सही है कि उस मकान पर सुरेन्द्र के नाम की नेम प्लेट नहीं थी ना ही स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज हमने नहीं लिया । फर्द जब्ती पर स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये तथा ना ही स्वतन्त्र गवाह मेरे सामने तलब किये थे । परमानंद की जब्ती कब बनाई आज याद नहीं है ।

21– गवाह पी.डब्ल्यु.– 11 रामकुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 18–09–2016 को पुलिस थाना मांगलियावास पर मालखाना इन्चार्ज के पद पर तैनात था उस दिन मुकदमा नम्बर 177/2016 में माल मय सीलशुदा ए से एच तक जब्त किया था जब्तशुदा माल गणपत लाल एस आई मय जब्तशुदा मय फर्दात के उसे लाकर दिया था जिसको उसने मालखाना रजिस्टार में मद संख्या 103/16 दिनांक 18–09–2016 पर इन्द्राज किया जो प्रदर्श पी 43 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है उक्त इन्द्राज की फोटो प्रति प्रदर्श पी 43 एहै जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है ।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि आई ओ ने मेरे सामने जब्त माल को सीलशुदा नही किया था इसलिए मैं सील का नाम व उसमें वर्णित शब्दों का क्या अंकन था यह नहीं बता सकता । मार्का प्रदर्श पी 43 के सी से डी से एफ काटा फांसी पर मेरे काउन्टर हस्ताक्षर नहीं है । यह कहना सही कि प्रदर्श पी 43 में पैकेट ए से एच किस प्रकार के मेटेरियल से और किस प्रकार की विधि से पैक किया था इसका हवाला नहीं है स्वतः कहा सीलशुदा पैकेट थे ।

Authenticated Document

22– **अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध को उक्त साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?**

23– उक्त संबंध में अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण करे उससे पूर्व यह तथ्य आलेखित किये जाने आवश्यक प्रतीत होते है प्रकरण हाजा में अभियुक्त सुनिल मफरूर है, इसलिए उपस्थित अभियुक्तगण के खिलाफ अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का ही विश्लेषण किया जा रहा है ।

24– प्रकरण में अभियोजन की कहानी का आरंभ परिवादी दिनांक 07–09–2016 को परिवादी भगवानास पुत्र श्रीनिहाल चन्द उम्र 62 साल निवासी सेन्दडा रोड हेडा अस्पताल के सामने ब्यावर थाना ब्यावर सिटी द्वारा आरक्षी केन्द्र मांगलियावास पर प्रस्तुत निम्न रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें यह तथ्य अंकित है–

> मैं भगवान दास पमनानी ब्यावर सेन्दडारोड हेडा होस्पीटल से अजमेर धन्धे के हिसाब से रोज जाता हूॅ,उस दिन दिनांक 25–08–16 को मैं अजमेर से अपने माल का पैसा ब्यावर ला रहा था और कुछ पहले के माल की उधारी का पैसा था और मैं मेरा स्टाफ साथ था । समय करीब लगभग रात के 10 बजे की बात है मैं अजमेर रेल्वे स्टेशन से स्विफट डिजायर गाडी टैक्सी परमिट की थी जिसमें बैठकर ब्यावर आ रहा था जो कि रास्ते में राजगढ तिराहे पर पहुंचे तो पीछे से एक निशान माईक्रा गाडी तेज गति से आकर हमारे आगे लगा दी और हमारी गाडी की चाबी भी निकाल दी और निशान माईक्रा गाडी में से 5–6 व्यकित थे जो हमारी गाडी पर लकडियों और सरियों से गाडी के शीशे सारे तोडफोड कर दिया और चाकू भी दिखाये और उनमें से एक व्यकित के पास पिस्तौल भी थी मेरे पास एक लाख सत्तर हजार रूपये थे और सात हजार और आधार कार्ड जो मेरे पर्स में थे जो डरा धमका कर लेकर भाग गये, बेग में हमारे फर्म भगवान ट्रेडर्स की बिल बुक भी जो लेकर भाग गये, जाते जाते धमकी भी देकर गये कि थाने पर रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे, मेरे साथ मारपीट की जिससे हाथों की अंगूलियो पर लगी उनके मूंह पर काला कपडा बांध रखा था सिर्फ

Authenticated Document

आंखे दिख रही थी जिनको सामने आने पर पहचान सकताहूॅ, घटना के समय मेरे साथ नरसिंह, राजू जोशी, विक्रम थे

25– उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाला परिवादी भगवान दास की मृत्यु होने से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त उक्त तहरीरी रिपोर्ट में आलेखित तथ्यों के अनुसार वारदात के समय उक्त परिवादी के साथ नरसिंह, राजू जोशी एवं विक्रम थे। उनकी साक्ष्य का समग्रता से अवलोकन करे तो गवाह विक्रम सिंह पी.ड.2 के रूप में परीक्षित हुआ है इस गवाह ने अभियोजन की कहानी की लेश मात्र भी पुष्टी नहीं की है । यह गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही रहा है तथा अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि **मैने कोई घटना नहीं देखी ना ही मौके पर था** । आगे इस गवाह ने यह कथन किय है कि **हमारे सेठ जी भगवानदास ने पुलिस के दबाव में व पुलिस के कहने से ही मुकदमा दर्ज कराया था** । इस प्रकार इस गवाह ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है ।

26– अभियोजन की ओर से परिवादी के साथ वक्त घटना दूसरा व्यक्ति नरसिंह था । जिसे अभियोजन ने बतौर पी.ड.3 न्यायालय के समक्ष पेश किया है । इस गवाह ने भी अभियोजन की कहानी की लेश मात्र भी ताईद नहीं की है । इस गवाह ने अपर लोक अभियोजक के द्वारा जिरह किये जाने पर इस गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने घटना देखी हो । अभियुक्तगण की ओरसे किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **किसी नक्शे मौके पर उसने हस्ताक्षर नहीं किये सिर्फ पुलिस ने थाने पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे** । इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उनके सेठ भगवान दास को डरा धमका कर उक्त मुकदमा दर्ज कराया था ।

27– अभियोजन की ओर से परिवादी के साथ वक्त घटना तीसरा व्यक्ति राजू जोशी था जिसने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है । इस गवाह को अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है । इस गवाह ने अपर लोक अभियोजक की जिरह में कथन किया है कि **उसने पुलिस को कोई नाम पता नहीं लिखवाया सेठ जी ने लिखवा दिया था, सेठ जी के साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं** है । अभियुक्त की ओर से किये गये

प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि **सेठ जी भगवान दास जी के साथ कोई लूट डकैती की घटना नहीं हुई** ।

28– इस प्रकार परिवादी की मृत्यु हो जाने से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु नहीं आ पाया है एवं उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ जो व्यक्ति थे उन्होने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह पी.ड.5 राजेश पमनानी जो कि परिवादी का पुत्र है उसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि मुझे जानकारी नहीं कि मेरे पिताजी के साथ किस दिनांक को क्या घटना हुई थी। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है । अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि **मेरे पिताजी के साथ कोई पैसे लूटने की बात नहीं हुई ।** वह अभियुक्तगण को नहीं जानता है। अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि पुलिस में उसके कोई बयान नहीं हुए थे । आगे इस गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **पुलिस ने उसके पिताजी को दबाव बनाकर एवं मजबूर करके पहले ही थाने में मुलजिमान को दिखा दिया था तथा जबरदस्ती शिनाख्त करवाई** ।

29– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य अहम गवाह राजू सिंह पी.ड.6 जो कि वक्त घटना परिवादी की कार का चालक था ने भी अपने कथनों के मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट कथन किया है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ। **मैने कोई घटना नहीं देखी** । इस गवाह को अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसके सामने भगवान दास के साथ लूट व मारपीट की हो तथा वह परिवादी की कार चला रहा हो। अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 8 पर जब **मेरे हस्ताक्षर कराये थे तब वह खाली था तथा वह किस बाबत था मुझे नहीं पता** ।

30– इसी प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चश्मदीद साक्षी रोशन लाल पी.ड.7 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि **उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है तथा उसने कोई घटना नहीं देखी**। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपर लोक अभियोजक के इस सुझाव को गलत बताया हो कि उसके चालक राजू सिंह ने उसे फोन पर घटना के बारे में बताया हो । अभियुक्तगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने

कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 8 पर मेरे हस्ताक्षर थाने पर कराये थे तब वह खाली था । हस्ताक्षर किस बाबत कराये मुझे नहीं पता है ।

31– इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रकरण में परिवादी भगवानदास की मृत्यु हो जाने से वह साक्ष्य में नहीं आया है तथा अन्य चश्मदीद एवं अहम गवाहान ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है । उक्त सभी गवाह पक्षद्रोही रहे है तथा लेश मात्र भी अपने कथनों से घटना के बारे में कथन नहीं करते है, उक्त समस्त गवाहान ने अभियुक्तगण की पहचान एवं उनके द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य से इन्कार किया है ।

32– जहां तक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहान की साक्ष्य का प्रश्न है उनमें गवाह वेद प्रकाश पी.ड.8, रघुवीर सिंह पी.ड.9 एवं पी.ड.10 बृज लाल पुलिस कर्मी है तथा अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाहियों के बाबत ही कथन किये है । इसी प्रकार गवाह पी.ड.11 रामकुमार वक्त घटना थाना मांगर्लियावास पर मालखाना इन्चाज होकर औपचारिक गवाह है । उक्त गवाहान की साक्ष्य परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान की सहायक हो सकती है किन्तु न्यायालय के विनम्र मत में उक्त गवाहान की साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्तगण को दोषसिद्व नहीं किया जा सकता है । जहां तक चिकित्सीय साक्षी पी.ड.1 डॉ. शैलेन्द्र के कथनों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि **यह बात सही है कि आहत ने मुझे यह नहीं बताया कि चोटें कब कहां और किस तरह से आई** ।

33– अभियोजन की ओर से प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी गणपत राम एवं श्री महावीर प्रसाद को बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी पेश नहीं किया जा सका ऐसे में प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आ पाई है । इसी प्रकार प्रकरण में शिनाख्त कार्यवाही सम्पादित करने वाले गवाह श्री अंकूर माथुर आर जे एस को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है किन्तु न्यायिक दृष्टी से उक्त फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही की फर्दात का अवलोकन करे तो प्रथमत अभियुक्तगण को पहचान करने वाला परिवादी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो पाया है । इसके अतिरिक्त उक्त **फर्द शिनाख्तगी दिनांक 15–10–2016 को केन्द्रीय कारागृह अजमेर** पर निर्मित की गई है । इस बाबत पत्रावली का अवलोकन करे तो पत्रावली पर **दिनांक 09–09–2016 के अखबार की प्रति प्रस्तुत है जिसमें अभियुक्तगण की फोटो प्रकाशित हुई है**, उक्त फोटो में अभियुक्तगण बापर्दा हो

ऐसा नहीं है । ऐसे में दिनांक 15–10–2016 को सम्पादित फर्द शिनाख्तगी से भी आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता न ही उक्त अपराध में अभियुक्तगण का संलिप्त होना माना जा सकता है ।

34– उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष उपरोक्त विनिश्चय के अनुसार प्रकरण में परिवादी एवं अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के अभाव में एवं अन्य अहम गवाहान के पक्षद्रोही होने से अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25–08–2016 को रात्रि 10.00 बजे के लगभग जब परिवादी भगवान दास अजमेर रेल्वे स्टेशन से स्विफट डिजायर टैक्सी में बैठकर ब्यावर जार हा था तो राजगढ तिराहे पर अभियुक्तगण ने अपने साथ संयुक्त रूप से उपस्थित व्यक्तियों की मदद से जिन्हें मिलाकर संख्या पांच से अधिक हो गई थी डिजायर के आगे निशान माईक्रा गाडी लगाकर उसे रोककर अभियोगी से एक लाख सत्तर हजार रूपये बिल बुक, पर्स में रखे सात हजार रूपये, आधार कार्ड आदि थे को लूटकर डकैती की एवं अभियोगी भगवान दास के स्वेच्छ्यापूर्वक उपहति कारित करने के आशय से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की एवं अभियोगी भगवानदास को उसकी इच्छा के विपरीत अवैध रूप से रोककर सदौष अवरोध कारित किया। ऐसे में अभियुक्तगण को धारा 395, 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

35– फलतः अभियुक्तगण **1– सुरेश योगी पुत्र श्री गोविन्द नाथ** उम्र 32 साल निवासी शिव मंदिर की गली राजीव बस्ती वैशाली नगर पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज अजमेर **2–सुरेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र श्री मांगी लाल** उम्र 30 साल निवासी एल आईसी कॉलोनी के पीछे राजीव बस्ती वैशाली नगर, पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज अजमेर **3–योगेन्द्र उर्फ जयेश उर्फ मुकेश पुत्र श्री गणपत लाल** आयु 23 साल निवासी डी –10 फ्रेण्डस कॉलोनी पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज जिला अजमेर **4–बाबू उर्फ अनिल पुत्र श्री मुन्ना लाल** आयु 27 साल निवासी महादेव मंदिर के पास,राजीव बस्ती,वैशाली नगर पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज अजमेर **5–परमानंद पुत्र श्री डालू राम** उम्र 30 साल निवासी

खोरी, पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर **6–जालम सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह** उम्र 24 साल निवासी डेर बांसेली, पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर **7 नरेश उर्फ नरू पुत्र घनश्याम** उम्र 25 साल निवासी फाईसागर रोड, गोटा कॉलोनी पुलिस थाना गंज जिला अजमेर को आरोपित अपराध धारा **323, 341, 395 भारतीय दण्ड संहिता** से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

36– प्रकरण में अभियुक्त **सुनिल पुत्र मनसुख राम उम्र 20 साल निवासी कापरडा, पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर** एवं अभियुक्त **शाहरूख भाट पुत्र मदन लाल आयु 24 साल निवासी खारिया रोड, भाटो का मौहल्ला, पुलिस थाना कुचामन सिटी, जिला नागौर हाल डी –10 फ्रेण्डस कॉलोनी पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज जिला अजमेर मफरूर** है, ऐसे में पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे । इस बाबत पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे ।

37– अभियुक्तगण द्वारा आदेशित जमानत मुचलके 06 माह की अवधि हेतु धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता की विहित शर्तों के साथ पेश किये जा चुके है ।

(नवीन मीणा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नसीराबाद, अजमेर।

38– निर्णय आज दिनांक 18–03–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(नवीन मीणा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नसीराबाद, अजमेर।

MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Digitally signed by MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Date: 2026.03.18 16:47:56 +0530